

कार्यकारी सार

औषधि उद्योग 2007 में ₹ 71,000 करोड़ से 2013 में ₹ 1,21,015 करोड़ तक अपने टर्नर्वर को लेकर गत पांच छ: वर्षों में प्रचुर वृद्धि का साक्षी हुआ है और उसके द्वारा सरकारी राजस्व की अनुकूल सम्भावना के साथ यह विशाल आर्थिक क्षेत्र बना हुआ है। सरकार विभिन्न क्षेत्र आधारित कर छूटों, अनुसंधान तथा विकास (आरएण्डडी) के प्रति खर्चों पर भारित कटौतियाँ और आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) में कारोबार लाभों के प्रति कटौतियां, उत्पाद शुल्क, राज्य वैट की रियायती दर आदि के रूप में इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अधिनियम के अधीन इस क्षेत्र को प्रदत्त ऐसे वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमत किए गए हैं और इस आश्वासन की मांग करते हैं कि कर रियायतों से संबंधित इन प्रावधानों के सम्भावित दुरूपयोग के क्षेत्र में आवश्यक रोकथाम/नियंत्रण करने का उचित तन्त्र विद्यमान है और प्रभावी रूप से प्रचालित होता है।

हमने क्या (क) औषधि क्षेत्र को स्वीकार्य छूट तथा कटौतियां हकदारी के अनुसार अनुमत की गई हैं (ख) औषधि क्षेत्र के कराधान के लिए प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक पर्याप्तता विद्यमान है (ग) औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों को अनुसंधान तथा व्यय की कटौती की अनुमति ने उद्योग में तथा कर राजस्व में वृद्धि को सहयोग किया है, पर केन्द्रित उद्देश्यों के साथ “औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों का निर्धारण” की निष्पादन लेखापरीक्षा की।

निष्पादन लेखापरीक्षा में औषधि क्षेत्र से संबंधित 2010-11 से 2013-14 और निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की तारीख तक (सितम्बर 2014) की अवधि के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारणों को शामिल किया गया। प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामलों में पूर्वनिर्धारण वर्षों के निर्धारण अभिलेखों की भी जांच/मिलान किया गया था जहां आवश्यक हुआ। हमने जुलाई 2014 में सीबीडीटी के साथ एन्ट्री कानफ्रेंस की जिसमें हमने लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र और लेखापरीक्षा जांच के मुख्य केन्द्र क्षेत्रों को स्पष्ट किया।

हमने सम्पूर्ण भारत में स्थित आयकर विभाग (आईटीडी) की निर्धारण यूनिटों से 3,432 निर्धारण अभिलेखों की मांग की। तथापि, आईटीडी ने 2868 निर्धारण अभिलेखों (83.57 प्रतिशत) को प्रस्तुत किए जिनकी हमने लेखापरीक्षा की। इस प्रतिवेदन में 246 मामले शामिल हैं जहां हमने प्रणाली में अथवा निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में कमी का उल्लेख किया जिसमें ₹ 1,348.44 करोड़ का कुल कर प्रभाव अन्तर्गत है।

हमने पाया कि आईटीडी ने औषधि क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों का डाटा नहीं बनाया था और इसलिए ऐसे प्रोत्साहनों का प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका। आईटीडी ने योजना तथा निर्णय करने के अपने महत्व की अनदेखी कर औषधि क्षेत्र में निर्धारिती का डाटाबेस भी नहीं बनाया था (पैरा 2.2 - 2.3)।

हमने छ: राज्यों¹ में ₹ 570.59 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 मामले देखे जहां डीएसआईआर द्वारा जारी फार्म 3सीएल/3सीएम से अथवा डीएसआईआर की वेबसाइट से दावों का सत्यापन किए बिना आरएण्डडी के प्रति खर्चों पर भारित कटौती अनुमत की गई जो ऐसे दावों का अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकरण है। हमने आगे देखा कि जैसा डीएसआईआर द्वारा विवरणी में दावा किया गया आरएण्डडी व्यय के अनुमोदन की तारीख से पूर्व विवरणी दाखिल करने की तारीख के कारण ऐसे दावे उनके अनुमोदन के पूर्व/बिना आईटीडी द्वारा अनुमत किए गए हैं। हमने आगे देखा कि निर्धारितियों ने आपूर्ति ठेकों के रूप में इन ठेकों को मानकर ठेका विनिर्माणों के संबंध में धारा 194सी के अपवर्जन खण्ड का लाभ लेकर टीडीएस का भुगतान नहीं किया है (पैरा 2.4 -2.6)।

हमने ₹ 8.51 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों का उल्लेख किया जहां निर्धारितियों ने भागीदारी पत्र में उसका प्रावधान न करने के द्वारा अपने भागीदारों को वेतन तथा ब्याज भुगतान से सम्बन्धित अस्पष्ट प्रावधानों का लाभ उठाया और उसके द्वारा धारा 80आईसी कटौती का अदेय लाभ प्राप्त किया। हमने यह भी देखाकि विशेष रूप से 80आईसी कटौतियों का लाभ लेने वाली यूनिट की हानियों/मूल्यहास के अग्रेनीत पर सहसम्बन्ध एवं सत्यापन करने का आईटीडी के पास कोई तन्त्र नहीं है। आईटीडी के पास आयकर विवरणियों में घोषित टर्नोवर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों में घोषित टर्नोवर के साथ सहसम्बन्ध करने एवं सत्यापन करने का भी कोई तन्त्र नहीं है जो उसी मंत्रालय का एक भाग है (पैरा 2.7 से 2.9)।

हमने सात राज्यों² में ₹ 55.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36 मामले देखे जहां चिकित्सा व्यवसायियों को उपहारें/फ्रीबीज के प्रति व्यय, कानून द्वारा प्रतिबंधित/कारोबार से सम्बन्धित नहीं होने के बावजूद अनुमत किए गए थे (पैरा 3.1.1 - 3.1.4)।

1 महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक

2 आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तरांचल

हमने 17 राज्यों³ में सामान्य प्रकृति के ₹ 714.24 करोड़ के कर प्रभाव वाले 171 मामलों का भी उल्लेख किया जिसमें कारोबार व्यय, आरएण्डडी खर्च और ऐसे अनुसंधान तथा विकास से लाभ लेने वाली यूनिटों के बीच ऐसे व्यय का आबंटन अनुमत करने में गलतियां, निर्धारणों में असंगति, अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन से संबंधित अनियमितताएं, गणितीय त्रुटियां आदि शामिल किए गए (पैरा 3.2)।

औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण को सरल तथा कारगर बनाने के उद्देश्य से हमने प्रणालीगत विषयों, कानूनी प्रावधानों में अस्पष्टताओं के दुरुपयोग/अधिनियम में कमी, आईटीडी द्वारा चूकों से सम्बन्धित सिफारिशों की हैं जो ‘सिफारिशों का सार’ में और प्रत्येक अध्याय के अन्त में दी गई हैं।

3 आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल